अतिरिक्त शुल्क के संबध में
सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५
के
धारा ७(३) का विस्तार एवं दायरा

ÁLrkouk %&

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तगर्त सूचना प्राप्त करने हेतु देय अतिरिक्त राशि के भुगतान के संम्बध में केन्द्रीय सूचना आयोग ने लोगों की राय मांगी है। 27 अक्टूबर 2008 को जारी की गई सार्वजनिक सूचना की व्याख्या निम्नलिखित है :–

> *"1- के. के. किशोर बनाम इंनस्टियूट ऑफ कम्पनी सेक्रेटरीज़ (CIC/MA/A/2008/01085) के अपील प्रकरण के संबध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है। इस प्रश्न का संबंध सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–7(3) के विस्तार एंव दायरे से है, जिसमें अतिरिक्त शुल्क कि चर्चा की गई है जो ब्व्प्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है।*
>
> *2- यह निर्णय लिया गया है कि आयोग की पूर्ण पीठ उपरोक्त मामले की सुनवाई करेगा।*
>
> *3- आम जनता तथा इस विषय में दिलचस्पी रखनेवाली संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि 2 दिसम्बर 2008 तक सूचना आयोग को अपना निवेदन प्रस्तुत करें।*
>
> *4- दिसम्बर, 2008 के दूसरे सप्ताह में आयोग द्वारा इस मामले पर सुनवाई करने की संभावना है।"*

केन्द्रीय सूचना आयोग के एक पूर्ण पीठ ने दिनांक 24/02/09 को इस मामले की सुनवाई की और अपना निर्णय आरक्षित रखा। हाल ही (मई 2009) में, केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपना निर्णय देने से पहले इस विषय पर पुनर्विचार करना उचित समझकर कुछ गिने चुने मंत्रालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कम्पनियों से इस मामले में उनकी राय मांगी है। सर्वप्रथम पुनर्सुनवाई की तिथि 8 जून, 2009 तय किया गया था। परंतु दो बार सुनवाई की तिथि को टालने के बाद आयोग ने हाल ही में निर्णय लिया है कि मामले की पुनर्सुनवाई 24 सितंबर, 2009 के शाम 4:00 बजे को होगी।

केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णयों में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा–7(3) की एक समान व्याख्या न होने के कारण सूचना प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के मन में यह उलझन उत्पन्न होता रहा है कि अतिरिक्त शुल्क दें तो कितने प्रकार के दें। इसी तरह से राज्य सूचना आयोगों के निर्णयों में भी एकरूपता नहीं हैं। इस विषय में एकरूपता कायम करने हेतु लोगों से सलाह–मशविरा करने के लिए केंन्द्रीय सूचना आयोग को हम बधाई देते हैं और धारा–7(3) के विस्तार एवं दायरे के बारे में अपना विचार प्रस्तुत करते हैं।

1- /kkjk 7 dh Á.kkyh %&

1-1 अतिरिक्त शुल्क के प्रावधान की व्याख्या करने से पहले उस के उपधाराओं तथा खण्डों की संरचना एवं व्यवस्था को समझना ज़रूरी है। अधिनियम के धारा 7 की पार्श्व टिप्पणि बतलाती है कि यह प्रावधान सूचना के लिए आवेदनों के निपटारे से संबंधित है। सामान्य भाषा में 'निपटारे' का तात्पर्य है कि किसी भी विचाराधीन विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। यह सिर्फ एक ही क्रिया नहीं होती है बल्कि यह सिलसिलेवार कई क्रियाओं की श्रृंखला होती है जिसके अंत में एक निश्चित परिणाम आपेक्षित है और आवश्यक भी है। धारा 7 में, इस अधिनियम के धारा 6 के अंतगर्त प्राप्त आवेदनों पर लोक सूचना अधिकारी (PIO) द्वारा निर्णय लेने की चरणबद्व प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

1-2 उप–धारा (1) अनुरोध के निपटारे की कार्यवाही का संक्षिप्त कथन देता है तथा इस प्रक्रिया को एक निश्चित समय–सीमा से भी जोड़ता है। समय–सीमा से संम्बधित अपवाद के बारे में परंतुक[1] (proviso) में बताया गया है। यह संक्षिप्त कथन किसी भी लोक सूचना अधिकारी के सामने निर्णय लेने के लिए उपलब्ध दो विकल्पों के बारे में बताता है जो निम्न प्रकार के हैं :–

- अतिरिक्त शुल्क के भुगतान होने के पश्चात वांछित सूचना उपलब्ध कराना, या
- धारा 8 या 9 में बताए गए कारणों के आधार पर आवेदन को निरस्त कर देना।[2]

दोनों संदर्भो में तीस दिनों के अंदर निर्णय लेना ज़रुरी है यदि परंतुक में बताए गए परिस्थिति लागू नहीं होता हो तो। यह प्रावधान दो अन्य समयावधि से संबंधित परिस्थितियों से सीमित है। इन में से एक परिस्थिति वह है जहाँ आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अग्रेषित {5(2) के अंतगर्त} किया गया हो तथा दूसरी परिस्थिति वह है जहाँ आवेदन को किसी अन्य लोक प्राधिकरण में हस्तांतरित किया गया हो {6(3) के अंतगर्त}।

1-3 उप–धारा (2) भी समयावधि से ही संबधित है तथा उप–धारा (1) में बताए गए मर्यादा के पालन न करने के परिणाम बतलाता है।

1-4 अतः यह सुस्पष्ट है कि अधिनियम के धारा 7(1) में आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया के घटकों के बारे में बताया गया है। उप–धारा (1) तथा (2) में समयावधि के घटक के बारे में विवरण उपलब्ध है। अन्य घटकों का विवरण बाद की उपधाराओं में बताई गई है। ध्यान देनी योग्य बात यह है कि उप–धारा (1) में दी गई संक्षिप्त कथन तथा बाद के उपधाराओं में बताई गई प्रक्रियावार विवरण में समयावधि का घटक सर्वप्रथम है। इसी प्रकार से संक्षिप्त कथन में शुल्क देने पर सूचना उपलब्ध करने की बात आवेदन को रद्द करने के विकल्प से पहले बताई गई है। दोनों विकल्पों की विवरणें देने वाली उपधाराओं को भी इसी क्रम में बताया गया है।

1-5 उपधारा (3) में अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर सूचना उपलब्ध कराने के निर्णय की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।[3]

---

[1] चूंकि समायवधि इस चर्चा का विषय नहीं है, इस निवेदन उस का विस्तृत विवरण नहीं किया जा रहा है।

[2] आवेदन को निरस्त करने का निर्णय की प्रकिया की इस चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए इस संबंध में विस्तृत विवरण नहीं दिया जा रहा है।

[3] धारा 7 की प्रणाली के वर्णन के बाद इस उपधारा पर विस्तृत टिप्पणी कि जाएगी।

1-6 ऐसे आवेदक जो संवेदी विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें सूचना प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के लिए, लोक सूचना अधिकारी के कर्त्तव्य के बारे में धारा (4) में वर्णन किया गया है। यह प्रावधान भी सूचना को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया का एक अटूट हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति विकलांगता के कारण सूचना को देख, सुन, पढ़ या जान नहीं सकता/सकती है तो मात्र सूचना के पन्नों के हस्तांतरित करने से सूचना तक उस व्यक्ति का पहुँच नहीं बनता। ऐसे व्यक्ति को सूचना को समझाने के लिए लोक सूचना अधिकारी को यथोचित सहायता उपलब्ध कराना होगा जो की अधिनियम का उद्देश्य भी है।

1-7 उपधारा (5) में, मुद्रित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम वाली सूचना मुहैया कराने की प्रक्रिया के बारे में बताई गई है। इस प्रकार की सूचना के लिए निर्धारित शुल्क देना आवश्यक है। इस उपधारा के परंतुक के मुताबिक उपधारा 6(1) के अंतगर्त देय आवेदन शुल्क तथा उपधारा 7(1) के अन्तगर्त देय अतिरिक्त शुल्क, दोनो को न्यायोचित होना आवश्यक है। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को किसी प्रकार का शुल्क देना अनिवार्य नहीं है। इस घटक के अन्य पहलुओं के बारे में भी इस उपधारा में वर्णन किया गया है।

1-8 निर्धारित समय–सीमा के अंदर आवेदक को सूचना नहीं प्राप्त होता है तो उपधारा (6) में इसका उपाय बताया गया हैं। यह उपाय दूसरे घटक से जुड़ा हुआ है, अर्थात, अगर लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय में सूचना उपलब्ध नहीं करा पता तो आवेदक का यह अधिकार है कि उसे सूचना निःशुल्क मिले। इस दूसरे घटक के बारे में बाद के उपधाराओं में कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं है।

1-9 निपटारे की प्रक्रिया के बारे में उपधारा (7) में एक चेतावनी दी गई है जो तीसरे पक्षाकार के हितों से संबंधित है। यह विषय पहली प्रक्रिया यानि सूचना तक पहुँच प्रदान करनेवाली प्रक्रिया का ही भाग है। उपधारा 11(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीसरे पक्षाकार से संबधित प्रक्रिया तभी लागू होगी जब दो शर्तें पूरी हों : –

- लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने के पक्ष में हो। अन्य शब्दो में कहा जाए तो आवेदन धारा 8 एवं 9 में बताए गए आधारों पर रद्द करने योग्य नही है।
- सूचना तीसरे पक्षकार से संबंधित हो या तीसरे पक्षकार द्वारा दिया गया हो और तीसरे पक्षकार ने उस सूचना को गोपनीय माना हो।

1-10 लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध दूसरे प्रक्रिया के बारे में उपधारा (8) में वर्णन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी आवेदन को निरस्त कर सकता है अगर मांगी गई सूचना किसी भी प्रकार से धारा 8 एवं 9 में उल्लेखित छूट की श्रेणी में आती है।[4]

1-11 सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में पहले विकल्प से संबंधित महत्त्वपूर्ण विचार के बारे में उपधारा (9) में वर्णन किया गया है। लेकिन यह किसी भी प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। इसमें लोक सूचना अधिकारी को मार्गदर्शन देने के उद्येश्य से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को रखा गया है। साधारणतः आवेदक को यह अधिकार है कि उसने जिस रूप में यानी फोटोकॉपी, सीडी,

[4] चूंकि आवेदन को निरस्त करने की प्रक्रिया इस चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए उस का विस्तृत विवरण नहीं किया जा रहा है।

फ्लॉपी या निरीक्षण आदि के लिए निवेदन किया है तो उसे सूचना उसी रूप में प्राप्त हो। हालांकि दो चेतावनी इस सिद्धांत से जुड़े हुए है :–

- ऐसा करने से संस्था के संसाधन रूप से व्यय नहीं हो जाए,
- दस्तावेज़ के संरक्षण एवं सुरक्षा में किसी प्रकार की क्षति नहीं होना चाहिए।

संसद द्वारा पारित अधिनियम के धारा 7 के प्रणाली का यह संपूर्ण कथन है।

2- /kkjk 7¼3½ dh le> ¼&

2-1 धारा 7(3) के मूल पाठ निम्नलिखित है :–

''जहाँ, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्य किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,–

- *सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में उसके द्वारा यथाअवधारित और फीस के ब्योरों जिसके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;*
- *प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुँच के प्रारूप के बारे में, जिसके अंतगर्त अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रक्रिया और या अन्य कोई प्रारूप भी हैं, विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा।''*

2-2 ^vfrfjDr 'kYd^ dk vFk :– अगर यह निर्णय लिया जा चुका है कि सूचना देने योग्य है तो लोक सूचना अधिकारी की बाध्यता बनती है कि आवेदक को सूचना प्राप्त करने के लिए देय अतिरिक्त शुल्क के बारे में सूचित करेगा। चूंकि 'शुल्क' यहाँ एक संज्ञावाचक शब्द है और इसे 'अतिरिक्त' शब्द से विश्लेषित किया गया है, इसलिए यह तय करना ज़रूरी है की मूल शुल्क किस प्रकार का है जिसके संबंध में इसे अतिरिक्त शुल्क माना जाएगा। ज़ाहिर है कि मूल शुल्क वह है जिसका भुगतान इस प्रक्रिया की शुरूआत से पहले किया गया था। अधिनियम में इस प्रक्रिया से पहले केवल आवेदन शुल्क के बारे में ज़िक्र किया गया है। उपधारा 7(3) में बतलाया गया शुल्क, उपधारा 6(1) में बतलाया गए आवेदन शुल्क के अतिरिक्त है। उपधारा 7(1) में बतलाए गए वाक्यांशः "ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए" को एक स्वतंत्र कोटि के शुल्क के रूप में विश्लेषित नहीं किया जा सकता। उसका अस्तित्व उपधारा 7(3) में बताए गए अतिरिक्त शुल्क से अलग नहीं है। वे दोंनों एक ही हैं और अभिन्न हैं।

2-3 ^vfrfjDr 'kYd^ dl fu/kkfjr fd;k tkuk pkfg,\ :– अतिरिक्त शुल्क को निर्धारित करने के लिए उपधारा 7(3) में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया है। इस सिद्धांत के मुताबिक संदाय शुल्क सूचना उपलब्ध कराने की लागत तक ही सीमित होना चाहिए। लागत

में किन प्रकार के खर्चों को शामिल करना है– इस बारे में अधिनियम में कोई मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है। धारा 27(2) के अंतगर्त प्राप्त नियम बनाने की शक्ति के मुताबिक यह तय करने की ज़िम्मेदारी समुचित सरकार पर है– जो इस मामले में भारत सरकार है।

2-4 धारा 7(3) के खण्ड (क) और (ख) में बताया गया है कि कैसे अतिरिक्त शुल्क के संबंध में आवेदक को सूचित किया जाएगा। शुल्क संबंधी जानकारी में, ये चार बातें अवश्य होनी चाहिए :

- सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में उसके द्वारा जितना अतिरिक्त शुल्क देना होगा उसका विवरण;
- उपधारा (1) के आधार पर निधार्रित राशि के अनुसार रकम तय करने के लिए किया गया हिसाब;
- शुल्क जमा करने का अनुरोध; और
- निधार्रित अतिरिक्त शुल्क पर या जिस प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराने की बात की गयी है, पर पुनर्विचार करने के लिए दरख्वास्त करने के आवेदक के अधिकार, अपीलीय अधिकारी के संपर्क विवरण, अपील दायर करने की समय–सीमा तथा कोई अन्य प्रारूप।[5]

2-5 उपर्युक्त प्रथम दो बातों को जल्दबाज़ी में पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो सकता है कि यह दो अलग प्रकार के शुल्क हैं जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा निधार्रित किए जाते है। जल्दबाजी में पढ़ने पर इस प्रकार के गलत विश्लेषण करने की संभावनाएँ उत्पन्न होती हैं। इस प्रावधान की गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि यह व्याख्या असमर्थनीय है। उसी प्रकार से जल्दबाज़ी में पढ़ने यह ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पहले भाग में जिस शुल्क का उल्लेख है वो लोक सूचना अधिकारी द्वारा स्वविवेकानुसार निर्धारित किया जाएगा। और जो दूसरे भाग में वर्णित शुल्क है उसको उपधारा (1) के अंतगर्त विहित शुल्क के दरों के आधार पर तय किया जाएगा। जल्दबाज़ी में पढ़ने के वजह से यह इन प्रावधानों की एक गलत व्याख्या होगी।

2-6 उपधारा (1) तथा उपधारा (3) के खण्ड (अ) के प्रारंभिक भाग में 'शुल्क' शब्द का उल्लेख एकवचन में किया गया है। खण्ड (अ) के तीन स्थानों पर शुल्क का उल्लेख बहुवचन में तथा एक स्थान पर एकवचन में किया गया है। 'शुल्क' शब्द का उल्लेख एकवचन में पुनः उपधारा (1) में किया गया है। अधिनियम के इस प्रावधान को केवल ऐसे संदर्भ के लिए सीमित नहीं किया गया है जहाँ आवेदक एक ही प्रारूप में सूचना मांग रहा है। आवेदक कई प्रारूपों में सूचना की मांग कर सकता है जैसे– फोटोकॉपियाँ, सत्यापित प्रतिलिपियाँ या इस्तेमाल किए गए साम्रागी के प्रमाणित नमूने आदि–जो एक ही विषय से संबंधित है। ऐसे संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी को यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि आवेदक से आवेदन शुल्क के अलावा कितना अतिरिक्त शुल्क वसूलना होगा। उदाहरण के लिए, एक नागरिक सार्वजनिक निमार्ण विभाग के कार्यालय में सड़क निमार्ण कार्य से संबंधित सभी बही–खाते या वाऊचर के निरीक्षण करने का आवेदन दे सकता है, जो ठेका निजी एजेंसी को निमार्ण कार्य हेतु दिया गया है उस अनुबंध की छायाप्रति, कार्य आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपि और निमार्ण में इस्तेमाल की जाने वाली सामाग्री के प्रमाणित–नमूनों को मांग सकता है। आवेदक को चाहे

[5] इस सूची के अंतिम दोनों भाग चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए उस का विस्तृत विवरण नहीं किया जा रहा है।

गए प्रत्येक प्रारूप में सूचना प्राप्त कराने के लिए संदेय शुल्कों के विवरण भी देना होगा। इसलिए लोक सूचना अधिकारी के कार्यवाही के संदर्भ में 'शुल्क' शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया गया है।

2-7 उपधारा (क) में उल्लेखित 'संगणना' शब्द का तात्पर्य है कि सूचना प्राप्त करने के लिए देने योग्य अतिरिक्त शुल्क जिसके हिसाब का विवरण लोक सूचना अधिकारी आवेदक को लिखित में सूचित करेगा। इस प्रकार का हिसाब लोक सूचना अधिकारी, किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण के मन मर्जी के मुताबिक करें, यह अधिनियम का उद्येश्य नहीं है। यह हिसाब समुचित सरकार– जो इस मामले में भारत सरकार है– द्वारा जारी किए गए शुल्क एवं लागत संबंधी नियमों के आधार पर ही करना होगा।

2-8 पूर्वगामी चर्चा से स्पष्ट होता है कि इस अधिनियम में सूचना तक पहुँच प्रदान करने के लिए देय शुल्क के संबंध में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं दिखता है। लोक सूचना अधिकारी शुल्क के निर्धारण में विवेकानुसार निर्णय नहीं ले सकता– जो इस मामले में भारत सरकार है– द्वारा निर्धारित नियम के दायरे से बाहर होता हो।

3- bl vf/kfu;e d vuqlkj n; 'kYd lc/kh fu;e cuku dh lefpr ljdkj dh 'kfDr ij le> %&

3-1 सूचना का अधिकार अधिनियम के धारा 27 के अंतर्गत समुचित सरकार– जो इस मामले में भारत सरकार है– को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 27 के उपधारा (1) के अंतर्गत समुचित सरकार को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संबंध में नियम बानाने कि सामान्य शक्ति दी गई है। इस संबंध में उपधारा (2) अतिविशिष्ट है। इस प्रावधान के मूल पाठ निम्नलिखित है :–

"½2½ विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :–

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;
(ख) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन संदेय फीस;
(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;
(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;
(ड) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;
(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए।"[6]

[6] इस सूची के प्रावधन चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए उस का विस्तृत विवरण नहीं किया जा रहा है।

3-2 उपर्युक्त प्रावधान का गहराई से अधययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में सिर्फ तीन प्रकार के शुल्क बताए गए हैं। पहला, आवेदन शुल्क है जिसका उल्लेख धारा 27(2)(ख) में किया गया है और इसे धारा 6(1) साथ जोड़कर पढ़ना ज़रूरी है। दूसरा, अतिरिक्त शुल्क जिसके बारे में धारा 7(1) में बताया गया है। धारा 27(2) में सूचना का अधिकार अधिनियम के अतंगर्त देने योग्य किसी अन्य प्रकार के शुल्क का उल्लेख नहीं है। यह संपूर्ण प्रावधान उपर्युक्त धारा 7 की प्रणाली के ही अनुरूप है।

4- D;k vf/kdkfj;ka dk oru] [kkt] ldyu rFkk vU; lcf/kr ykxr vkond ls oly fd;k tk ldrk g \

4-1 16 सितम्बर 2005 को भारत सरकार द्वारा, *सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनिमयन नियम), 2005* अधिसूचित किया गया। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, फीस और लागत नियमों में सिर्फ दो बार संशोधन किया गया है। जिनका संबंध निरीक्षण शुल्क तथा 'पोस्टल ऑर्डर' के माध्यम से शुल्क के भुगतान से है। इसके अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं हुआ है। अधिनियम के धारा 7(3) के अंतगर्त संदेय किसी अन्य प्रकार के शुल्क के बारे में फीस और लागत नियमों में कोई ज़िक्र नहीं हैं। मूल अधिनियम की धारा 7(3) के तहत देय शुल्क के संदर्भ में फीस और लागत नियम में किसी अन्य प्रकार के शुल्क शामिल नहीं किया गया है। फीस और लागत नियमों संबंधी प्रावधान निम्नलिखित है :–

4 । धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचिन रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगीः–

"(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए–4 या ए–3 आकार) कागज के लिए दो रूपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या किमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक प्रन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पाँच रुपए की फीस।"[7]

4-2 जब किसी दस्तावेज़ (ए–4 या ए–3 आकार को छोड़कर) की प्रतिलिपि या सामग्री के नमूने की मांग की जाती है तो केवल प्रतिलिपि को बनाने की लागत या सामग्री के नमूने को उपलब्ध कराने की लागत ही वसूला जाना चाहिए। फीस और लागत नियम से इस बात का पता चलता है कि अधिकारियों के वेतन, खोज, संकलन तथा अन्य संबंधित कार्य के लागत की वसूली का कोई अधिकार इसमें शमिल नहीं किया गया है।

4-3 यह तर्क कि : " अधिनियम के उपधारा 7(3) का ज़िक्र नियम बनाने के प्रावधानों में न होने के कारण फीस और लागत नियमों के अंतगर्त कोई भी लोक सूचना अधिकारी या लोक प्राधिकारण या कोई अन्य प्रधिकारी किसी भी प्रकार का लागत मात्र हिसाब बताकर आवेदक

---

[7] फीस और लागत नियम में पहला संसोधन समयावधि के संबध में हुआ है। रिकार्डों का निरीक्षण करने के लिए संदेय शुल्क 15 मिनट के बदले प्रत्येक घंटे के हिसाब से लिया जाएगा।

से वसूल सकता है– एक काल्पनिक विचार है जिसका कोई कानूनी औचित्य नहीं है। इस काल्पनिक विचार के आधार पर अपनी मनमर्ज़ी के मुताबिक अनुपलब्ध अधिकार को चलाना इस कानून व संसद के मंशा के खिलाफ है क्योकी संसद ने इस प्रकार की शक्ति किसी भी अधिकारी को नहीं सौंपा है। इस प्रकार से अधिनियम व नियम के प्रावधानों की व्याख्या करने का मतलब है नागरिकों को प्राप्त सूचना पाने के उस अधिकार का अवहेलना करना जिसे संसद ने एक कानून के रूप में स्थापित किया है।

5- D;k ,sls fu;e cuk, tk ldrs gSa ftuds tfj, vf/kdkfj;ksa ds osru] [kkst] ladyu rFkk vU; lacaf/kr ykxr dk vkosnd ij Fkksik tk ldrk gS \

5-1 मूल अधिनियम के धारा 27 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आवेदक पर लोक सूचना अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा वेतन, खोज, संकलन तथा अन्य संबंधित लागत थोपने के लिए अनुमति देता है। हाँलाकि यह दलील दी जा सकती है कि – इस तरह के नियम बनाने के लिए मूल अधिनियम के धारा 27(1) में सामान्य शक्ति मौजूद है। यह भी एक तर्कसंगत बात नहीं है क्योंकि नियम बनाने के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए दिए गए हैं, उन्हें हतोत्साहित या विफल करने के लिए नहीं। नियम बनाते समय समुचित सरकार– जो हाल के मामले में भारत सरकार है– को अधिनियम की उपधारा 7(5) में बताए गए एक महत्वपूर्ण तत्त्व को ध्यान में रखना होगा कि 'शुल्क न्यायसंगत होने चाहिए।'

5-2 भारत एक ऐसा देश है जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक नागरिक अपना जीवनयापन 2 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से भी कम पर कर रहें है। वेतन, खोज तथा सूचना के संकलन की लागत को आवेदकों पर थोपने का मतलब सूचना को माँगने से उन्हें निरुत्साहित करना है। वास्तव में लोगों को भ्रष्टाचार व गैरकानूनी कामकाज के मामलों के बारे में सूचना माँगने से हतोत्साहित करने के लिए लोक सूचना अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी ऐसे तरीके अपनाएंगी। ऐसा करने पर अधिनियम के मूल उद्येश्य जो इस के प्रस्तावना में वर्णित है कि ''सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नागरिकों को शिक्षित करना एंव शासन में सक्रिय भागीदारी दिलाना है'' वो विफल हो जाएगी। अतः आवेदक पर अकारण बोझ थोपने या किसी तरह से हतोत्साहित करने के लिए सामन्य नियम बनाने के शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

5-3 अंततः यह बताना ज़रूरी है कि अधिकारी द्वारा खोज तथा संकलन में लगाए गए समय की लागत अधिकारियों के जेब से वहन नहीं किया जा रहा है। नागरिकों द्वारा सरकारी खज़ाने में करों के रूप में दी गई योगदान से उन लागतों का वहन किया जाता है। इस प्रकार के लागतों को करदाताओं से वसूलने का मतलब है उन पर दोहरा भार डालना जो इस महत्वपूर्ण कानून को पारित करते समय संसद का मक्सद नहीं था।

6- tgka vkosnd dks lwpuk iznku djus ds fy, vR;f/kd le; vkSj lalk/kuksa dks yxkus dh vko';drk gks ogka ykd Ákf/kdkjh dk ck> de djus ds fy, D;k fodYi ekStwn gS \

6-1 सामन्यतः आवेदक द्वारा माँगी गई प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराते समय लोक प्राधिकरण के संसाधनों पर अत्याधिक बोझ न पड़े इस लिए उपधारा 7(9) या उपधारा 7(3)(ख) में बताए गए विकल्पों का हवाला दिया जाता है।

6-2 धारा 4(1)(क) के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारण को अपने सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध एवं अनुक्रमणिकाबद्ध कर ऐसे रूप में रखना चाहिए ताकि उन अभिलेखों तक पहुँच आसान हो जाए। इसके साथ–साथ इस प्रावधान में यह भी कहा गया है कि लोक प्राधिकारण सभी अभिलेखों को यथोचित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत करेगा तथा उसे संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से जोड़ेगा। अगर इस प्रावधान को एक समय मर्यादा के अनुसार लागू कर दिया जाए तो प्रत्येक लोक प्राधिकरण के अभिलेखों तक लोगों की पहुँच आसान हो सकता है। आवेदनों के निराकरण के लिए लगनेवाले संसाधनों तथा अधिकारियों के समय में भी काफी बचत हो जाएगी। कई लोक प्राधिकरणों ने इस प्रावधान को गंभीरता से नहीं देखा है। यह प्रमुख कारण है जिस से लगता है कि लोगों को सूचना उपलब्ध कराना एक मंहगीं प्रक्रिया है। सरकार की यह घोषित नीति है कि हर कार्यालय को कम से कम कागज़ इस्तेमाल करनेवाली निकाय के रूप में बदले। लेकिन इस के बावजूद अगर किसी लोक प्राधिकरण को अपने अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ाना है तो इसे केवल उसी प्राधिकरण के उच्च स्तरीय अधिकारियों की दूरंदेशी का अभाव माना जाएगा।

6-3 सूचना मांगने के इच्छुक नागरिकों को हतोत्साहित करने के तरीकों को ढूंढ़नें के बजाय सरकारी निकायों को अपने अभिलेखों को कंप्यूटरीकृत करने के ओर ज़्यादा ध्यान देना होगा। जिस सूचना एवं संचार प्रौद्यौगिकी क्षेत्र के उपलब्धियों के बारे में भारत को गर्व है उन्हीं उपलब्धियों को नागरिकों के सूचना के अधिकार के प्राप्ति के लिए इस्तेमाल करना होगा। भारत में किसी भी लोक प्राधिकरण के अस्तित्त्व के पीछे एकमात्र उद्येश्य है जनता के हित के लिए सेवा करना, न कि क्षति पहुँचाना है।

****